

13/7/2024

लालसोट जिला दौसा (राज०)

पञ्जावली लोक अदालत जेम्प मे पुरा  
डूग । कुर्बी स्वयं उपस्थित । पञ्जावली का  
अपरो केन किया गया । प्राणी का प्राण का  
स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार को  
सोवरा किये जाते ही की मुताबिक प्राण पर  
प्राणना-पत्र से अंगित अराजीयत का  
सीमाहान कर पद्वर गरी किया जाना  
सुनिश्चित कर उक्त सोवरा से कवण्य  
सुपुटे की कार्यवाही शामिल लक्ष्य रहेगी।  
इस साक्ष्य की तहरीर तहसीलदार निर्दिष्ट  
को जोड़ी है। पञ्जावली केसल अमार हाकर  
जम कर से काम दारणील रूप करे।



सदस्य  
लोक अदालत बेंच  
लालसोट, जिला-दौसा